भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारां कत प्रश्न संख्या **1398**
(सोमवार, **9** फरवरी, **2026/20** माघ, **1947** (शक) को उत्तर के लए)

कंपनी अ धनियम के अंतर्गत दंड

1398. श्री एम. के. राघवनः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः
श्री के. सुधाकरनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने पछले दस वर्षों के दौरान देश में कंपनी अ धनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन गैर-अनुपालन के मामलों में वृ द्ध देखी है;
(ख) यदि हाँ, तो पछले दस वर्षों के दौरान कंपनी अ धनियम, 2013 के व भन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन के लए दं डत की गई कंपनियों की कुल संख्या कतनी है, इसका वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस अव ध के दौरान लगाए गए कुल जुर्माने और वसूली गई रा श का ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्ष 2020 से वैधानिक रिटर्न दा खल न करने के कारण कंपनियों के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने और छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन स्तरों में सुधार पर इन प्रवर्तन उपायों के प्रभाव की कोई समीक्षा की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अ धनियम, **2013** के प्रावधानों के (अननुपालन) में वृ द्ध का संकेत देने वाला कोई रुझान नहीं है।

(ख): पछले दस वर्षों के दौरान कंपनी अ धनियम, **2013** के व भन्न प्रावधानों के अंतर्गत दं डत कंपनियों की कुल संख्या का राज्य-वार ववरण अनुलग्नक **-I** में दिया गया है।

(ग): पछले दस वर्षों के दौरान अ धरो पत दंडों की संख्या तथा वसूल की गई रा श का ववरण क्रमशः अनुलग्नक -II एवं अनुलग्नक -III में दिया गया है

(घ): हटाई गयी कंपनियों की संख्या का ववरण अनुलग्नक -IV में दिया गया है।

(ङ): कंपनी अ धनियम, **2013** तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कंपनियों के प्रबंधन में वत्तीय जवाबदेही एवं पारद र्शता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान कए गए हैं। अल्पांश शेयरधारकों सहित सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा से संबं धत कंपनी अ धनियम, **2013** के महत्वपूर्ण पहलुओं का ववरण अनुलग्नक **-V** में दिया गया है।

(च): यह अ धनियम छोटी और बड़े दोनों प्रकार के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक व धक ढांचा का प्रावधान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा मानकों का पालन, सां व धक फाइ लंग, निदेशक मंडल एवं उसकी स मतियों के कर्तव्य, स्वतंत्र निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ तथा अनिवार्य प्रकटीकरण शा मल हैं। न्यायनिर्णयन, शमन एवं न्यायालयीन दोष स द्ध सहित प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से अननुपालन करने वाली कंपनियों पर दंड अ धरो पत कए गए हैं। इन प्रवर्तन कार्रवाइयों की निय मत रूप से निगरानी की जाती है।

*****

<u>अनुलग्नक – I</u>

अननुपालन करने वाली दं डत कंपनियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	31.12.25
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	5	0	8	136	21	7	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	2	4	4	4	9	2
4.	बिहार	0	0	17	25	3	14	55	31	19	7
5.	चंडीगढ़	0	0	0	1	3	6	2	3	10	0
6.	छत्तीसगढ	0	4	0	0	0	19	7	68	34	19
7.	दादर और नगर हवेली	00	00	00	00	00	00	01	02	00	00
8.	दमन और दीव	0	0	0	7	0	0	0	1	1	1
9.	गोवा	0	0	7	101	0	0	5	0	9	8
10.	गुजरात	0	0	0	25	5	47	152	169	57	48
11।	हरियाणा	6	14	0	6	2	5	29	37	19	24
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0
13.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14.	कर्नाटक	0	0	18	112	89	98	66	93	202	96
15.	केरल	31	9	5	240	89	24	98	11	20	10
16.	मध्य प्रदेश	0	3	6	12	14	29	17	68	16	7
17.	महाराष्ट्र	0	0	231	100	10	15	36	144	211	185
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र.सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	31.12.25
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	58	13	20	103	52	31	110	141	135	107
23.	ओडिशा	22	18	2	31	4	10	12	7	3	18
24.	पुदुचेरी	3	9	0	0	6	1	10	10	9	0
25.	पंजाब	0	0	0	2	5	15	3	11	23	13
26.	राजस्थान	11	14	8	13	3	3	21	23	3	10
27.	तमिलनाडु	28	8	31	22	20	26	89	56	139	54
28.	तेलंगाना	133	9	10	19	6	22	8	7	18	31
29.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	0	2	2	0	3
31.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	उत्तर प्रदेश प्रदेश	0	0	0	31	0	22	3	18	80	29
33.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1
34.	पश्चिम बंगाल	23	4	13	4	5	5	34	47	37	26
35.	केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	315	105	368	861	318	404	901	980	1066	703

<u>अनुलग्नक – **II**</u>

अधिरोपित जुर्माने की कुल राशि (रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	31.12.25
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	691000	0	5538750	163105200	36865400	8433800	25508900
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	400000	1088000	758190	1627650	9239300	7770000
4.	बिहार	0	0	7200000	1285000	1231100	3160000	28471650	28300300	23871400	10313100
5.	चंडीगढ़	00	00	00	00	0	15174	00	3353500	3353500	00
6.	छत्तीसगढ	0	34000	0	0	0	6224000	2051000	25581100	6796375	16236450
7.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	6000	177600	0	0
8.	दमन और दीव	0	0	0	5103600	0	0	0	400000	190000	1200000
9.	गोवा	0	0	0	45462000	0	0	4675200	0	34897600	18439950
10.	गुजरात	7850	334085	1132567	734500	886000	34524100	44563750	40927650	71426848	27887200
11.	हरियाणा	2300000	2478000	0	600000	125000	1629000	4855842	8498923	76407600	9432500
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	4878850	0	0
13.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00,000	0
14.	कर्नाटक	0	0	620000	38590600	26962000	59087758	33645879	90429110	174469310	38006707
15.	केरल	0	0	0	22945000	0	0	40000	5172200	14904100	2838600
16.	मध्य प्रदेश	0	729000	813000	2840000	2060000	5764000	5402400	78871800	17263100	3741000
17.	महाराष्ट्र	0	0	3110450	16266000	17143400	29822500	28090900	157610420	136056493	143541821
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	31.12.25
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20985000	4952000	4947000	2691000	5817300	8547500	22322600	13910002	46137650	45061819
23.	ओडिशा	1867000	5106000	2097000	18100600	1156000	8532400	9158300	7431600	8860700	21717900
24.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	51000	4011900	4115000	14954000	0
25.	पंजाब	0	0	0	555000	1288000	6761300	931950	8719700	17212800	63200000
26.	राजस्थान	82858	491284	406012	265200	20000	3485500	14918050	16671000	47165400	1755000
27.	तमिलनाडु	0	0	0	49763500	2960000	4249700	88318100	60738106	141853569	51223200
28.	तेलंगाना	0	0	0	5767200	463200	3893600	20814382	25693450	23148400	0
29	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	0	0	0	400000	0	0	2004000	8397200	0	1841000
31.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	0	0	0	10100000	0	8224000	2292600	23871600	197838700	52074500
33.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	250000	993000	843400	622000
34.	पश्चिम बंगाल	4882500	700000	334500	1047500	1639100	1500000	28808200	27839000	14244800	12585450
35	केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	30125208	14824369	20660529	223207700	62151100	192083108	509496093	679220661	1090068845	554997097

अनुलग्नक – **III**

पिछले दस वर्षों के दौरान वसूली गई कुल राशि (रुपये में)

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	31.12.25
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	496200	0	2041950	3581126 0	435740 0	154500 0	10000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	400000	1088000	758190	839350	415000	777000
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	534400	342000	911050	5000
5.	चंडीगढ़	00	00	00	0	00	00	00	00	992000	00
6.	छत्तीसगढ	0	25000	9000	0	0	24000	150000	111500 0	286637 5	1104000
7.	दादर और नगर हवेली	00	00	00	0	0	0	00	0	0	0
8.	दमन और दीव	0	0	0	196850	0	0	0	400000	190000	0
9.	गोवा	0	0	0	1746055	0	0	900000	0	348976 00	8572050
10.	गुजरात	500	33300	29400	6000	0	3000	0	0	0	0
11 ।	हरियाणा	0	0	0	0	125000	110000	1138000	615071 8	408080 0	6812500
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0
14.	कर्नाटक	0	0	620000	13280740	178925 00	1990075 8	1370542 9	352312 41	674825 58	7045814
15.	केरल	0	0	0	4496850	0	0	40000	450000	116300 0	860000
16.	मध्य प्रदेश	0	0	340000	120000	565000	1402000	1903400	948500	727250	3241000
17.	महाराष्ट्र	0	0	3110450	1845000	161150 0	1274580 0	2066250 0	384008 00	583577 10	14687743
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	31.12.25
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	145000	0	1685000	388000	2378900	282900	5665750	4470000	9430918	15081931
23.	ओडिशा	363000	134000	0	20000	0	459000	160000	633160 0	416500	4266100
24.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	51000	20000	80000	1800000	0
25.	पंजाब	0	0	0	0	88000	307000	0	1382500	4103000	1800000
26.	राजस्थान	31758	133728	211000	0	15000	296000	1469500	4366150	7398380	0
27.	तमिलनाडु	0	0	0	4282200	2960000	838700	8049700	1859400	9097800	8962700
28.	तेलंगाना	0	0	0	4874200	463200	3133600	1038648 4	347125 0	14499420	892000
29	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	404000	0	0	0
31.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	0	0	0	130000	0	0	0	50000	7872900	70000
33.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	713000	843400	622000
34.	पश्चिम बंगाल	0	140000	0	32500	0	185000	7439200	683280 0	15723700	386500
35	केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	540258	466028	6004850	31914595	2649910 0	42868708	10919781 3	1180217 09	2453143 61	75196338

अनुलग्नक- **IV**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) और 248(2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रर से हटाई गई कंपनियों की संख्या।

क्र.सं.	वर्ष	कंपनी अधिनियम के तहत हटाई गई कंपनियों की संख्या	
		248(1)	और 248 (2)
1	2020-2021	217	12,487
2	2021-2022	28,305	33,923
3	2022-2023	68,893	13,169
4	2023- 2024	0	16,464
5	2024-2025	0	15,837
6	2025 - 31.12.2025 तक	0	14,082
	कुल	97,415	1,05,962

अनुलग्नक **-V**

अल्पांश शेयरधारकों सहित सभी शेयरधारकों का हित संरक्षण

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों से अनुमोदन की आवश्यकताओं के माध्यम से कंपनियों के प्रबंधन में जवाबदेही।

(ii) वित्तीय विवरणों का एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा-परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता।

(iii) समय-समय पर शेयरधारकों को सूचना प्रदान करने एवं उनसे अनुमोदन प्राप्त करने हेतु (नोटिस, संकल्प, डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) आदि) के माध्यम से प्रकटीकरण की आवश्यकता।

(iv) जोखिम प्रबंधन, कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा अन्य महत्वपूर्ण मानकों सहित मंडल की रिपोर्ट के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण की आवश्यकता।

(v) समय-समय पर विभिन्न दस्तावेज, संकल्पों की प्रतियां, वित्तीय विवरण, रिटर्न आदि रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किए जाने की आवश्यकता।

(vi) वार्षिक रिटर्न और/अथवा वित्तीय विवरण फाइल करने में विफल रहने वाली दोषी कंपनियों कंपनियों के विरुद्ध कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92, 96, 99 एवं 137 के अंतर्गत अभियोजन दायर करने अथवा कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत कंपनियों को हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अल्पांश शेयरधारकों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

(क) धारा 241 से 246 के अंतर्गत, यदि कंपनी के कार्यकलाप अल्पांश शेयरधारकों के प्रति □हानिकारक□ अथवा □दमनकारी□ तरीके से संचालित किए जा रहे हों, तो उन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क करने का अधिकार प्राप्त है।

(ख) धारा 151 के अंतर्गत, सूचीबद्ध कंपनी में लघु शेयरधारकों (जिनके पास 20,000 रुपये से अधिक के शेयर न हों) द्वारा विशेष रूप से निर्वाचित एक निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है।

(ग) धारा 235 के अंतर्गत, किसी व्यवस्था योजना में यदि बहुमत (मूल्य के आधार पर 90 प्रतिशत) शेयरों के अंतरण पर सहमत होता है, तो हस्तांतरणी कंपनी असहमति रखने वाले शेयरधारकों के शेयर अधिग्रहित कर सकती है; तथापि, यदि प्रस्ताव अनुचित हो, तो ऐसे शेयरधारकों को अधिकरण में अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) धारा 236 के अंतर्गत, यदि बहुलांश अधिग्रहणकर्ता की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत तक पहुंच जाती है, तो उसे शेष अल्पांश शेयरधारकों को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य पर पर उनके शेयर खरीदने का प्रस्ताव देना अनिवार्य है।

(ङ) धारा 100 के अंतर्गत, कम से कम 10 प्रतिशत मतदान अधिकार रखने वाले शेयरधारकों को असाधारण आम सभा (ईजीएम) आहूत करने का अधिकार प्राप्त है।

(च) धारा 94 के अंतर्गत, शेयरधारकों को सांविधिक रजिस्टरों तथा आम सभाओं की कार्यवृत्तियों (मिनट्स) का निरीक्षण करने का अधिकार है।

(छ) धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष लेन-देन के मामलों में, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15(3) के अनुसार निर्धारित सभी महत्वपूर्ण लेन-देन हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे मामलों में संबंधित शेयरधारक मतदान नहीं कर सकते, जिससे अल्पांश शेयरधारकों को आवश्यक संरक्षण प्राप्त होता है।

****